इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5132-178-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०२१

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २ अप्रैल, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३ अप्रैल, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा ५ में, उपधारा (५६-ए) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(५६-बी) ''करयोग्य सम्पत्ति मूल्य'' से अभिप्रेत है, धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण करने के प्रयोजन हेतु, किसी विशिष्ट वर्ष के लिए यथा विहित रीति में संगणित सम्पत्ति का मूल्य.''.

(२) धारा १३२ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''कर'' के पश्चात्, शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द ''कर'' के पश्चात्, शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''कर योग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (च) का लोप किया जाए.

(तीन) उपधारा (६) में,—

(क) शब्द ''कर'', जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात् शब्द ''या फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ठ) आउटडोर मीडिया उपकरणों के प्रदर्शन के विनियमन के लिए फीस;''.

(चार) उपधारा (८) में, शब्द ''कर'' के पश्चात्, शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १३२-क में, विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभार.''.

(४) धारा १३३ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''कर, फीस तथा उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.''.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीसों'', के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीसों'', के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीसों'' या ''फीस'', जहां कहीं भी वे आए हों, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीस'', जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (३) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(५) धारा १३५ में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(६) धारा १३६ में,—

(एक) खण्ड (बी) में तथा उसके परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक मूल्य'' जहां कहां भी वे आएं हों, के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (एफ) के परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (आई) में, शब्द ''पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी'' के पश्चात्, शब्द ''तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि संपत्ति कर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है'' जोड़े जाएं.

(७) धारा १३८ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''भवन तथा भूमि का करयोग्य संपत्ति मूल्य.''.

(दो) उपधारा (१) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' और शब्द ''निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया)'' के स्थान पर, शब्द 'सन्निर्मित क्षेत्र (कंस्ट्रक्टिड एरिया)' स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं.

(चार) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) आयुक्त, स्वमेव अथवा प्राप्त जानकारी के आधार पर उपधारा (२) के अधीन निर्धारित किसी भूमि या भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य इत्यादि की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन, कर सकेगा. दोनों ओर के दस प्रतिशत तक फेर-फार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा. उन मामलों में जहां फेर-फार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी, उसके द्वारा किए गए स्वयं निर्धारण तथा आयुक्त द्वारा किए गए निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु आयुक्त, उपधारा (२) के अधीन विगत तीन कर निर्धारण वर्ष तक जमा की गई विवरणी की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन, कर सकेगा.''.

(पांच) उपधारा (४) में, पूर्णविराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (३) के अधीन जारी आदेश में मांगी गयी राशि की कम से कम पचास प्रतिशत राशि का भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो.''.

(८) धारा १४३ का लोप किया जाए.

(९) धारा १४४ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''जानकारी प्राप्त करने की शक्ति.''.

(दो) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द ''अपने को कर निर्धारण सूची तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए,'' का लोप किया जाए.

(१०) धारा १४५ का लोप किया जाए.

(११) धारा १४६ का लोप किया जाए.

(१२) धारा १४७ का लोप किया जाए.

(१३) धारा १४८ का लोप किया जाए.

(१४) धारा १४९ में,—

(एक) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(१) यदि इस अधिनियम की धारा १३८ की उपधारा (४) के अधीन मेयर-इन-काउंसिल द्वारा लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मेयर-इन-काउंसिल के विनिश्चय की अपील जिला न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(२) ऐसी अपील इस अधिनियम की धारा १३८ की उपधारा (४) के अधीन पारित आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.".

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(१५) धारा १५० का लोप किया जाए.

(१६) धारा १५१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"**१५१. करों के अभिलेखों का संधारण.**—निगम द्वारा करों के अभिलेख सरकार द्वारा विहित रीति में संधारित किए जाएंगे.".

(१७) धारा १५२ का लोप किया जाए.

(१८) धारा १५३ का लोप किया जाए.

(१९) धारा १५४ का लोप किया जाए.

(२०) धारा १५६ का लोप किया जाए.

(२१) धारा १५७ का लोप किया जाए.

(२२) धारा १५८ का लोप किया जाए.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) (एक) धारा ३ में, उपधारा (३७) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३७-क) ''करयोग्य सम्पत्ति मूल्य'' से अभिप्रेत है, धारा १२७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण करने के प्रयोजन हेतु, किसी विशिष्ट वर्ष के लिए यथा विहित रीति में संगणित सम्पत्ति का मूल्य.''.

(दो) विद्यमान उपधारा (३७-क) को उपधारा (३७-ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

(२) धारा १२६ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''भूमि तथा भवन का करयोग्य संपत्ति मूल्य.'';

(दो) उपधारा (१) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' तथा शब्द ''निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया)'' के स्थान पर, शब्द ''सन्निर्मित क्षेत्र (कंस्ट्रक्टिड एरिया)'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वमेव अथवा प्राप्त जानकारी के आधार पर उपधारा (२) के अधीन, किसी भूमि तथा भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य इत्यादि की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन, कर सकेगा. दोनों ओर के दस प्रतिशत तक फेर-फार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा. उन मामलों में जहां फेर-फार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी उसके द्वारा किए गए स्वयं निर्धारण तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपधारा (२) के अधीन विगत तीन कर निर्धारण वर्ष तक जमा की गई विवरणी की जांच, परीक्षण, निर्धारण अथवा सत्यापन कर सकेगा.'';

(पांच) उपधारा (४) में पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (३) के अधीन जारी आदेश में मांगी गयी राशि की कम से कम पचास प्रतिशत राशि का भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो.''.

(३) धारा १२७ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''कर'' के पश्चात् शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द ''कर'' के पश्चात्, शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (च) का लोप किया जाए.

(तीन) उपधारा (६) में,—

(क) शब्द ''करों'' के पश्चात्, शब्द ''या फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(ख) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ठ) आउटडोर मीडिया उपकरणों के प्रदर्शन के विनियमन के लिए फीस;'';

(चार) उपधारा (८) में, शब्द ''कर'' के पश्चात् शब्द ''तथा फीस'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(४) धारा १२७—ए में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (ख) में तथा उसके परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य संपत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (च) के परन्तुक में, शब्द ''वार्षिक भाड़ा मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''करयोग्य सम्पत्ति मूल्य'' स्थापित किए जाएं;

(ग) खण्ड (झ) में, शब्द ''पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी'' के पश्चात्, शब्द ''तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि संपत्ति कर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है'' जोड़े जाएं.

(५) धारा १२७—ए के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

संपत्ति कर पर छूट.

''१२७-ए ए. (१) धारा १२७-ए की उपधारा (१) तथा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परिषद् यह ठीक समझे, संकल्प द्वारा निदेशित कर सकेगी कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी तारीख के पूर्व जैसी कि परिषद् द्वारा नियत की जाए, देय कर का संदाय करता है, उसे देय रकम पर छूट, जो सवा छह प्रतिशत से अधिक न हो, अनुज्ञात की जाएगी:

परन्तु छूट इसके लिए हकदार समस्त व्यक्तियों को समान दर से अनुज्ञात की जाएगी.

(२) परिषद्, इस धारा के अधीन संकल्प का किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगी.''.

(६) धारा १२७-ख में, विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभार.**''.

(७) धारा १२९ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''फीस'' के पश्चात्, शब्द ''तथा उपभोक्ता प्रभार'' जोड़े जाएं.

(दो) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीस'' के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीस'' के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(चार) उपधारा (३) में, शब्द ''फीस'' जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या उपभोक्ता प्रभार'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(८) धारा १३४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''१३४. **करों के अभिलेखों का संधारण.**—नगरपालिका द्वारा करों के अभिलेख सरकार द्वारा विहित रीति में संधारित किए जाएंगे.''.

(९) धारा १३५ का लोप किया जाए.

(१०) धारा १३६ का लोप किया जाए.

(११) धारा १३७ का लोप किया जाए.

(१२) धारा १३८ का लोप किया जाए.

(१३) धारा १३९ में,—

(एक) उपधारा (१) तथा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) यदि धारा १२६ की उपधारा (४) के अधीन प्रेसिडेंट इन काउंसिल के विनिश्चय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपील नगरपालिका क्षेत्र पर आधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश को होगी और यदि नगरपालिका के मुख्यालय पर प्रथम वर्ग का कोई सिविल न्यायाधीश नहीं है, तो इसी प्रकार ऐसे मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले कोई द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और यदि ऐसे मुख्यालय पर कोई द्वितीय वर्ग सिविल न्यायाधीश नहीं है, और यदि यथास्थिति, मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक सिविल न्यायाधीश हों, तो जिला न्यायाधीश विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि किस सिविल न्यायाधीश वर्ग दो को ऐसी अपील की जाएगी.

(२) ''ऐसी अपील धारा १२६ की उपधारा (४) के अधीन पारित आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.''.

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(१४) धारा १४० का लोप किया जाए.

(१५) धारा १४१ का लोप किया जाए.

(१६) धारा १४२ का लोप किया जाए.

(१७) धारा १४३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''१४३. **जानकारी प्राप्त करने की शक्ति.**—(१) मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित सूचना-पत्र द्वारा, किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिवासी को, ऐसी युक्तियुक्त कालावधि के भीतर, जो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नियत करे—

(क) ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिवासी या स्वामी तथा अधिवासी दोनों के निवास स्थान के नाम तथा स्थान के संबंध में; और

(ख) ऐसी भूमि या भवन के माप या कोई सकल वार्षिक भाड़ा या भू-आगम या अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरों या विवरणी या वास्तविक कीमत या प्राक्कलित बाजार मूल्य के संबंध में,

जानकारी देने या उक्त स्वामी या अधिवासी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित विवरणी समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित कर सकेगा.

(२) प्रत्येक स्वामी या अधिवासी जिससे कोई ऐसी अध्यपेक्षा की जाए, उसका पालन करने तथा सही जानकारी देने या अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास तक सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा;

(३) कोई भी जो समुचित कारण के बिना, ऐसी मांग का पालन करने में चूक करता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जो असत्य हो, किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त जिसका वह दायी हो, किसी ऐसे कर निर्धारण के संबंध में जो ऐसी भूमि या भवन के संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जाए, जिसका वह स्वामी या अधिवासी हो, आपत्ति करने से विवर्जित रहेगा.''.

(१८) धारा १४५ का लोप किया जाए.

(१९) धारा १४६ का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १२ सन् २०२०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या बात समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5132-178-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 14 OF 2021

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 2nd April, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd April, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipal Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

Amendement of the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

(2) In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) In Section 5, after sub-section (56-a), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(56-b) 'Taxable Property Value' means value of property calculted in a manner as prescribed for the purpose of levy of property tax under clause (a) of sub-section (1) of Section 132 for a particular year.".

(2) In Section 132,_

(i) in the marginal heading, after the word "Taxes", the words "and Fees" shall be inserted.

(ii) in sub-section (1),—

(a) after the word "taxes", the words "and fees" shall be inserted;

(b) in clause (a), for the words "annual letting value", the words "taxable property value" shall be substituted;

(c) clause (f) shall be omitted.

(iii) in sub-section (6),—

(a) after the word "taxes", wherever it occurs, the words "or fees" shall be inserted;

(b) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) fee for regulation of display of out-door media devices;".

(iv) in sub-section (8). after the word "tax", the words "and fee" shall be inserted.

(3) In Section 132-A, for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"User Charges to be imposed under this Act.".

(4) In Section 133,—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Imposition of taxes, fees and user charges.".

(ii) in sub-section (1).—

(a) in clause (a), after the word "fees", the words "or user charges" shall be inserted;

(b) in clause (b), after the word "fees" the words "or user charges" shall be inserted.

(iii) in sub-section (2).—

(a) in clause (a), after the words "fees", or "fee" wherever they occur, the words "or user charges" shall be inserted;

(b) in clause (b), after the word "fee", wherever it occurs, the words "or user charges" shall be inserted.

(iv) in sub-section (3), after the word "fee" wherever it occurs, the words "or user charges "shall be inserted.

(5) In Section 135, for the words "annual letting value", the words "taxable property value" shall be substituted.

(6) In Section 136,—

(i) in clause (b) and in its proviso, for the words "annual value" wherever they occur, the words "taxable property value" shall be substituted.

(ii) in proviso of clause (f), for the words "annual value" the words "taxable property value" shall be substituted.

(iii) in clause (i), after the words "exempted from property tax to the extent of fifty percent", the words "however, this exemption shall be available if property tax is paid within the same financial year in which tax is due" shall be added.

(7) In Section 138,—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Taxable property value of building and land.".

(ii) in sub-section (1), for the words "annual letting value", the words "taxable property value" and for the words "of the built up area", the words "of the constructed area" shall be substituted.

(iii) in sub-sectioin (2), for the words "annual letting value", the words "taxable property value" shall be substituted.

(iv) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) Commissioner suo-moto or on the basis of information obtained may scrutinize, examine, asses or verify the taxable property value of any land or building assessed under sub-section (2). Variation up to ten percent on the either side shall be ignored. In case the variation is more than ten percent, the owner of land or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to five times the difference of self assessment made by him and the assessment made by the Commissioner:

Provided that the Commissioner may scrutinize, examine, assess or verify the returns of pervious three assessment years filed under sub-section (2).".

(v) in sub-section (4), for the full stop, colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no appeal under this sub-section shall be admitted unless accompanied by proof of payment of at least fifty percent of the amount demanded in the order under sub-section (3).".

(8) Section 143 shall be omitted.

(9) In Section 144,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Powers to obtain information.".

(ii) in the opening para, the words "To enable him to prepare the assessment list" shall be deleted.

(10) Section 145 shall be omitted.

(11) Section 146 shall be omitted.

(12) Section 147 shall be omitted.

(13) Section 148 shall be omitted.

(14) In Section 149,—

(i) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(1) If any dispute arises as to the decission of Mayor in Council under sub-section (4) of Section 138 of this Act, an appeal shall lie from the decision of the Mayor in Council to the District Court, whose decision shall be final thereupon.

(2) Such an appeal shall be presented before the District Court within 30 days from the date of the order passed under sub-section (4) of Sectioin 138.".

(ii) Sub-section (4) shall be omitted.

(15) Section 150 shall be omitted.

(16) for Section 151, the following Section shall be substituted, namely :—

"**151. Keeping records of taxes.**—The records of taxes shall be kept by the Corporation in the manner prescribed by the Government.

(17) Section 152 shall be omitted.

(18) Section 153 shall be omitted.

(19) Section 154 shall be omitted.

(20) Section 156 shall be omitted.

(21) Section 157 shall be omitted.

(22) Section 158 shall be omitted.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendement of the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

(3) In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).—

(1) (i) in section 3, after sub-sectioin (37), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(37-a) 'Taxable Property Value' means value of property calculted in a manner as prescribed for the purpose of levy of property tax under clause (a) of sub-section (1) of Section 127 for a particular year.".

(ii) the existing sub-section (37-a) shall be renumbered as sub-section (37-b).

(2) In Section 126,—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"taxable property value of land and building.";

(ii) in sub-section (1), for the words "annual letting value", the words "taxable property value", and for the words "of the built up area" the words "of the constructed area" shall be substituted;

(iii) in sub-section (2), for the words "annual letting value" the words "taxable property value" shall substituted;

(iv) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) Chief Municipal Officer suo-moto or on the basis of information obtained may scrutinize, examine, asses or verify the taxable property value of any land or building assessed under sub-section (2). Variation up to ten percent on the either side sahll be ignored. In case the variation is more than ten percent, the owner of land or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to five times the difference of self assessment made by him and the assessment made by the Chief Municipal Officer:

Provided that the Chief Municipal Officer may scrutitnize, examine, assess or verify the returns of previous three assessment years filed under sub-section (2).";

(v) in sub-section (4), for the full stop, colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no appeal under this sub-section shall be admitted unless accompanied by proof of payment of at leas fifty percent of the amount demanded in the order under sub-section (3).".

(3) In Section 127,—

(i) in the marginal heading, after the word "Taxes" the words "and Fees" shall be inserted.

(ii) in sub-section (1),—

(a) after the word "taxes", the words "and fees" shall be inserted;

(b) in clause (a), for the words "annual letting value" the words "taxable property value" shall be substituted;

(c) clause (f) shall be omitted;

(iii) in sub-section (6),—

(a) after the word "taxes", the words "or fees" shall be inserted;

(b) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) fee for regulation of display of out-door media devices;";

(iv) in sub-section (8), after the word "tax", the words "and fee" shall be inserted.

(4) In Section 127-A,—

(i) in sub-section (1), for the words "annual letting value", the words "taxable property value" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),—

(a) in clause (b) and in its proviso, for the words "annual letting value" wherever they occur, the words "taxable property value" shall be substituted;

(b) in the proviso to clause (f), for the words "annual letting value" the words "taxable property value" shall be substituted;

(c) in clause (i), after the words "exempted from property tax to the extent of fifty percent", the words "however, this exemption shall be available if property tax is paid within the same financial year in which the tax is due" shall be added.

(5) After Section 127-A, the following Section shall be inserted, namely:—

"127-AA.(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2) of Section 127-A the Council may, if it think fit, direct by resolution that a discount not exceeding six and a quarter percent shall be allowed on the amount due from every person who pays the tax due before such date as the Conuncil shall fix: **Discount on property tax.**

Provided that the discount shall be allowed at the same rate to all persons entitled thereto.

(2) The council may at any time revoke a resolution under this Section.".

(6) In Section 127-B, for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"User charges to be imposed under this Act.".

(7) In Section 129,

(i) in the marginal heading, after the word "fees", the words "and user charges" shall be added.

(ii) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), after the word "fees", the words "or user charges" shall be inserted;

(b) in clause (b), after the word "fees", the words "or user charges" shall be inserted.

(iii) in sub-section (2).—

(a) in clause (a), after the word "fee", wherever it occurs, the words "or user charges" shall be inserted;

(b) in clause (b), after the word "fee", wherever it occurs, the words "or user charges" shall be inserted.

(iv) in sub-section (3), after the word "fee", wherever it occurs, the words "or user charges" shall be inserted.

(8) For Section 134,. the following Section shall be substitutted, namely:—

"**134. Keeping records of taxes.**—The records of taxes shall be kept by the Municipality in the manner prescribed by the Government.".

(9) Section 135 shall be omitted.

(10) Section 136 shall be omitted.

(11) Section 137 shall be omitted.

(12) Section 138 shall be omitted.

(13) In Section 139.—

(i) For sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) If any dispute arises as to the decision of President in Council under sub-section (4) of Section 126 an appeal shall lie to the Civil Judge Class-I having jurisdiction over the Municipal area and if there is no Civil Judge Class-I at the headquarter of the Municipality, then the same shall be filed before the Civil Judge Class-II having jurisdiction at such headquarter and if there is no Civil Judge Class-II at such headquarter and in case of more than one Civil Judge at the headquarter or having jurisdiction as the case may be, then the District Judge may specify as to which Civil Judge Class-II such appeal shall lie.

(2) Such an appeal shall be presented before the Civil Judge Class-I within 30 days from the date of the order passed under sub-section (4) of Section 126.".

(ii) Sub-section (4) shall be omitted.

(14) Section 140 shall be omitted.

(15) Section 141 shall be omitted.

(16) Section 142 shall be omitted.

(17) For Section 143, the following Section shall be substituted,namely:—

"**143. Power to obtain information.**—(1) The Chief Municipal Officer shall, by written notice, require the owner or occupier of any land or building or any portion thereof to furnish him within such a reasonable period as the Chief Municipal Officer may fix, with information or with a written return signed by such owner or occupier.—

(a) as to the name and place of abode of the owner or occupier, or of both the owner and occupier of such land or building; and

(b) as to the measurement or the gross annual rent or revenue or the description or other specified details or the actual cost or estimated market value of such land or building.

(2) Every owner or occupier from whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of his knowledge and belief.

(3) Whoever omits without resonable cause to comply with such requisition or furnishes a return which is untrue, shall in addition to any other punishment to which he may be liable, be precluded from objecting any assessment made by the Chief Municipal Officer in respect of such land or building of which he is the owner or occupier.".

(18) Section 145 shall omitted.

(19) Section 146 shall be omitted.

Repeal and saving.

4. (1) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (No. 12 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding prpvisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021